(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 847–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2016 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 106/अपील/2013–14.

.....

जमना प्रसाद पुत्र स्व0श्री मोतीलाल
निवासी ग्राम इस्लाम नगर,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्यामलाल पुत्र स्व0श्री मोतीलाल
2–घीसीलाल पुत्र स्व0श्री मोतीलाल
3–बेनीप्रसाद पुत्र श्री घीसीलाल
4–तुलसीराम पुत्र श्री घीसीलाल
5–भगवानसिंह पुत्र श्री घीसीलाल
निवासीगण ग्राम इस्लाम नगर,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री संजीव जयसवाल, अभिभाषक–आवेदक
श्री राजेंद्र पांचाल, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 3

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.2.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार हुजूर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम इस्लाम नगर तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे कमांक

340/2 आवेदक की भूमि एवं भूमि सर्वे कमांक 340/1 अनावेदक कमांक 1 तथा भूमि सर्वे कमांक 340/2/घ अनावेदक कमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । उभयपक्ष आपस में भाई भतीजे हैं तथा उनकी भूमि आपस में एक दूसरे से लगी है । उपरोक्त भूमियों का उभयपक्ष के मध्य लगभग 30 वर्ष पूर्व बटवारा हो चुका है । अनावेदक गण की भूमि पर जाने वाले मार्ग को आवेदक द्वारा बागंड लगाकर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2009–10 दर्ज कर दिनांक 28–11–2011 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर जाने हेतु 10 फीट का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–5–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 25–2–16 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत स्थल निरीक्षण तहसीलदार को किया जाना होता है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है जो कि मान्य किये जाने योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में बटवारे में 10 फीट का रास्ता दिये जाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है और बिना प्रमाणित किये रास्ता नहीं दिया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया अनावेदक कमांक 1 के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा नवीन रास्ता देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण में अनावेदक कमांक 1, आवेदक की भूमि में से ट्रेक्टर ले जाने के लिये रास्ते की

मॉग कर रहा है, जबकि ऐसा कोई रास्ता वर्तमान में है ही नहीं । जिस रास्ते की मॉग अनावेदकगण द्वारा की जा रही है उस पर आवेदक का मकान बना है व ट्यूबबैल लगा है और अन्य ग्रामवासियों के मकान बने है ।

4/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में अनावेदक कमांक 3 को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः उसकी भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है, इसलिये तहसीलदार का आदेश इसी आधार पर स्थिर रखे जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत विहित प्रकिया का पालन कर आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश वैधानिक आदेश है जिसकी पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 1, 2, 4 व 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया जाकर पटवारी से स्थल निरीक्षण कराकर पटवारी से रिपोर्ट चाही गई है और प्रकरण में पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है । इस संबंध में संहिता की धारा 131 में प्रावधानित किया गया है कि रास्ते के संबंध में विवाद होने पर तहसीलदार स्थानीय जॉच करने के उपरांत उस मामले को प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुये विनिश्चित कर सकेगा । इस संबंध में 1984 आरएन 311 रमेश विरूद्ध नंदनप्रसाद तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिये । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर पारित आदेश अवैध है", अतः संहिता की धारा 131 में वर्णित उपरोक्त आज्ञापक प्रावधान एवं प्रतिपादित न्यायदृष्टांत के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित

आदेश इसी आधार पर अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 को 10 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया है, जबकि प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा से स्पष्ट है कि मौके पर ट्रेक्टर लाने ले जाने का रास्ता नहीं होकर पैदल निकालने का रास्ता है । पटवारी द्वारा भी इसी आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ट्रेक्टर लाने व ले जाने हेतु रास्ते की मॉग की जा रही है, जबकि मौके पर ट्रेक्टर लाने ले जाने का रास्ता नहीं होकर केवल घीसीलाल व जमनाप्रसाद पुत्र मोतीलाल की मेढ़ से पैदल जाने का रास्ता है । स्थल पंचनामा में यह भी उल्लेख है कि अनावेदक कमांक 1 श्यामलाल कालूराम, छोटेराम, चन्दनसिंह व पन्नालाल कृषकों की मेढ़ से अपने मकान व खेत पर आते जाते हैं, स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा न तो स्वयं मौके पर कोई स्थल निरीक्षण किया गया है और न ही पटवारी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं रिपोर्ट के अनुरूप आदेश पारित किया गया है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ही केवल रास्ते की मॉग की जा रही है और उसके लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में 2012 आरएन 259 रूगनाथ विरूद्ध लालू तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर मात्र सुविधा के आधार पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 3 बेनीप्रसाद की भूमि में से भी रास्ता दिया गया है क्योंकि न तो प्रकरण में उसे पक्षकार बनाया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत आदेश है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है और चूँकि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा

तहसीलदार के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–02–2016 व अनुविभागीय अधिकारी भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–05–2014 तथा तहसीलदार, तहसील व जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2011 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर